

प्रेस -नोट
थाना नवाबाद

दिनांक 25.09.2026

- ❖ जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- ❖ थाना नवाबाद पुलिस द्वारा लूट की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ में 02 अभियुक्त गिरफ्तार,
- ❖ कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, 01,000/- रुपये व 02 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ व पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री विकास कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 25.09.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा लूट की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए मु0अ0सं0 0536/2026 धारा 309(4), 115(2), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. मोहम्मद सुलतान पुत्र मु0 रहीस निवासी 1033 अली गोल खिड़की, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी एवं 2. अन्नू उर्फ समीम पुत्र रफीक खान निवासी पुलिया नं0 09, थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त मोहम्मद सुलतान के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया।

मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को जीवन रक्षार्थ उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, 01,000/- रुपये व 02 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामदगी की गयी है। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नवाबाद पर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.09.2026 को आवेदक श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्रीकान्त यादव निवासी मेघौली खुर्द, थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज द्वारा थाना नवाबाद पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा रेलवे स्टेशन के आगे पानी की टंकी के पास स्कूटी से आकर उनके एवं उनके साथी के साथ मारपीट की गई तथा उनसे 3,000/- रुपये एवं मोबाइल फोन छीन लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0 536/2026 धारा 309(4)/115(2)/317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण में नामजद अभियुक्त अफसर पुत्र मुहम्मद असलम उम्र करीब 32 वर्ष निवासी पुलिया नं0 09, थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी को वादी द्वारा आसपास की जनता की सहायता से मौके पर ही पकड़कर थाना नवाबाद पुलिस के सुपुर्द किया गया था। शेष नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु किए जा रहे प्रयासों के क्रम में दिनांक 24.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबाद पुलिस बल द्वारा रेलवे ग्राउंड के पीछे पुलिया नं0 09 की ओर जाने वाले रास्ते पर क्रॉसिंग के पास कूड़ा घर के समीप चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त मोहम्मद सुलतान के पैर में गोली लगी तथा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित लूटा गया मोबाइल फोन, 1,000/- रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त स्कूटी नं0 UP93BH9451 बरामद की गई। घायल अभियुक्त मोहम्मद सुलतान को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज झाँसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रेतर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. मोहम्मद सुलतान पुत्र मु0 रहीस निवासी 1033 अली गोल खिड़की, थाना कोतवाली, जनपद झाँसी।
2. अन्नू उर्फ समीम पुत्र रफीक खान निवासी पुलिया नं0 09, थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी।

बरामदगी का विवरण –

1. लूटा गया 01 मोबाइल फोन।
2. 1,000/- रुपये नगदा।
3. घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी नं0 UP93BH9451।
4. 02 तमंचा 315 बोर,
5. 02 जिन्दा कारतूस,
6. 01 खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. थाना नवाबाद पुलिस टीम ,